



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3859]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 2019/अग्रहायण 7, 1941

No. 3859]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2019/AGRAHAYANA 7, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2019

का.आ. 4290(अ).—केंद्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का.आ. 4195(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (2) में, "मदुरै" शब्द के स्थान पर, "मदुरै, नोएडा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-16011/09/2016-एलडब्लू(ए)]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 28 दिसंबर, 2016 को अधिसूचना सं. का.आ. 4195(अ), तारीख 28 दिसंबर 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2019

S.O. 4290(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4195(E), dated the 28th December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (2), for the word “Madurai”, the words “Madurai, Noida” shall be substituted.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

Foot Note : The principal notification was published vide notification number S.O. 4195(E), dated the 28th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th December, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2019

का.आ. 4291(अ).—केंद्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का.आ. 4196(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (2) में, "मदुरै" शब्द के स्थान पर, "मदुरै, नोएडा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-16011/09/2016-एलडब्लू(ए)]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 28 दिसंबर, 2016 को अधिसूचना सं. का.आ. 4196(अ), तारीख 28 दिसंबर 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2019

S.O. 4291(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4196(E), dated the 28th December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (2), for the word “Madurai”, the words “Madurai, Noida” shall be substituted.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

Foot Note : The principal notification was published vide notification number S.O. 4196(E), dated the 28th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th December, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2019

का.आ. 4292(अ).—केंद्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का.आ. 4197(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (2) में, "मदुरै" शब्द के स्थान पर, "मदुरै, नोएडा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-16011/09/2016-एलडब्लू(ए)]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 28 दिसंबर, 2016 को अधिसूचना सं. का.आ. 4197(अ), तारीख 28 दिसंबर 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2019

S.O. 4292(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4197(E), dated the 28th December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (2), for the word "Madurai", the words "Madurai, Noida" shall be substituted.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

Foot Note : The principal notification was published vide notification number S.O. 4197(E), dated the 28th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th December, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2019

का.आ. 4293(अ).—केंद्रीय सरकार, भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का.आ. 4198(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (2) में, "बिलासपुर" शब्द के स्थान पर, "बिलासपुर, नोएडा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-16011/09/2016-एलडब्लू(ए)]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 28 दिसंबर, 2016 को अधिसूचना सं. का.आ. 4198(अ), तारीख 28 दिसंबर 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2019

S.O. 4293(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4198(E), dated the 28th December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (2), for the word "Bilaspur", the words "Bilaspur, Noida" shall be substituted.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

Foot Note : The principal notification was published vide notification number S.O. 4198(E), dated the 28th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th December, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2019

का.आ. 4294(अ).—केंद्रीय सरकार, भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का.आ. 4199(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 के सामने, स्तंभ (2) में, "बिलासपुर" शब्द के स्थान पर, "बिलासपुर, नोएडा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-16011/09/2016-एलडब्लू(ए)]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 28 दिसंबर, 2016 को अधिसूचना सं. का.आ. 4199(अ), तारीख 28 दिसंबर 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2019

S.O. 4294(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4199(E), dated the 28th December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (2), for the word “Bilaspur”, the words “Bilaspur, Noida” shall be substituted.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

Foot Note : The principal notification was published vide notification number S.O. 4199(E), dated the 28th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th December, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2019

का.आ. 4295(अ).—केंद्रीय सरकार, अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का.आ. 4200(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (2) में, "मदुरै" शब्द के स्थान पर, "मदुरै, नोएडा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-16011/09/2016-एलडब्लू(ए)]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 28 दिसंबर, 2016 को अधिसूचना सं. का.आ. 4200(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2019

S.O. 4295(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4200(E), dated the 28th December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (2), for the word “Madurai”, the words “Madurai, Noida” shall be substituted.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

Foot Note : The principal notification was published vide notification number S.O. 4200(E), dated the 28th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th December 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2019

का.आ. 4296(अ).—केंद्रीय सरकार, अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का.आ. 4201 (अ), तारीख 28 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (2) में, "मदुरै" शब्द के स्थान पर, "मदुरै, नोएडा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-16011/09/2016-एलडब्लू(ए)]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव भारत सरकार

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 28 दिसंबर, 2016 को अधिसूचना सं. का.आ. 4201(अ), तारीख 28 दिसंबर 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2019

S.O. 4296(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4201(E), dated the 28th December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (2), for the word "Madurai", the words "Madurai, Noida" shall be substituted.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

Foot Note : The principal notification was published vide notification number S.O. 4201(E), dated the 28th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th December, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2019

का.आ. 4297(अ).—केंद्रीय सरकार, अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का.आ. 4202(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 के सामने, स्तंभ (2) में, "मदुरै" शब्द के स्थान पर, "मदुरै, नोएडा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-16011/09/2016-एलडब्लू(ए)]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 28 दिसंबर, 2016 को अधिसूचना सं. का.आ. 4202(अ), तारीख 28 दिसंबर 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2019

S.O. 4297(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4202(E), dated the 28th December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (2), for the word "Madurai", the words "Madurai, Noida" shall be substituted.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

Foot Note : The principal notification was published vide notification number S.O. 4202(E), dated the 28th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th December, 2016.